न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
38 / 2023	30 / 06 / 2023	08 / 05 / 2024

1. उर्मिला पुत्री शंकरलाल जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. हेमराज पुत्र शंकरलाल जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. गायत्री पुत्री जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. दाखा बाई पत्नि जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. नंजी बाई पुत्री जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. भगवान प्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. मनीषा पुत्री जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
8. ममता पुत्री जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. सन्तोष बाई पुत्री जगन्नाथ जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
10. गिरजेश पुत्री लटूर जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
11. महावीर पुत्र लटूर जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
12. सुनिता पुत्री लटूर जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
13. हूकमचन्द पुत्र लटूर जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र देवलाल जाति कलाल निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थी वकीलः– विकास पारेता
अप्रार्थी वकीलः– कमल कुमार बंसल

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, आर0टी0एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमाबन्दी सम्वत 2041–60 के अनुसार ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजी खसरा नं0 145 रकबा 0.26है0, खसरा नं0 146 रकबा 0.37है0, खसरा नं0 147 रकबा 0.43है0, खसरा नं0 148 रकबा 0.31है0, खसरा नं0 149 रकबा 0.41है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.12है0, खसरा नं0 167 रकबा 0.23है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.52है0, खसरा नं0 265 रकबा 1.35है0, खसरा नं0 280 रकबा 0.21है0, खसरा नं0 281 रकबा 0.11है0, खसरा नं0 282 रकबा 0.09है0, खसरा नं0 283 रकबा 0.05है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.60है0, खसरा नं0 166/1068 रकबा 0.40है0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.46है0 भूमि स्थित है। जिसे इस प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि आराजी के रूप में सम्बोन्धित किया गया है।

यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 लगभग 65 वर्षों से पूर्व से पारिवारिक समझोते के तहत अपनी–अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है और 65 वर्षों से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 सगे भाई व सगे भाईयों के पुत्र–पुत्री है। जिनका उक्त पैतृक कृषि आराजी पर समान अधिकार प्राप्त है और लगभग 65 वर्षों से बदस्तूर कब्जा काश्त की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। प्रत्येक खातेदार को पैदावार की दृष्टि से भूमियों का बंटवारा हो रहा है।

यह है कि 65 वर्षों पूर्व से पारिवारिक बंटवारे के तहत खसरा नं0 145 रकबा 0.26है0, खसरा नं0 147 रकबा 0.43है0, खसरा नं0 265 रकबा 1.35है0 भूमि प्रार्थी कम 1 व 2 को प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थी कम 1 व 2 आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है।

इसी प्रकार खसरा नं0 149 रकबा 0.41है0, खसरा नं0 148 रकबा 0.31है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.12है0, खसरा नं0 280 रकबा 0.21है0, खसरा नं0 281 रकबा 0.11है0 खसरा नं0 282 रकबा 0.09है0, खसरा नं0 283 रकबा 0.05है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.60है0, प्रार्थी कम 3 ता 9 को प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थी कम 3 ता 9 आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है।

इसी प्रकार खसरा नं0 167 रकबा 0.23है0, खसरा नं0 166/1068 रकबा 0.40है0 भूमि वादी कम 10 ता 13 को प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थी कम 10 ता 13 आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है।

इसी प्रकार अप्रार्थी कम 1 का खसरा नं0 146 रकबा 0.37है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.52है0 व खसरा नं0 1135/148 रकबा 0.01है0 भूमि प्राप्त हुई थी और आज भी अप्रार्थी कम 1 उक्त भूमि पर बदस्तूर काबिज काश्त है।

यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 1 के मध्य 65 वर्षों पूर्व हुए बाहमी बंटवारे के तहत आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और अनवरत खेती कर रहे है वाद में बांहमी बंटवारे व कब्जे के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में पृथक खाता अमल दरामद किया गया लेकिन कानूनी अज्ञानता वश व त्रुटिवश खसरा नं0 147 रकबा 0.43 है0 प्रार्थी कम 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था परन्तु अप्रार्थी कम 1 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि खसरा नं0 148 रकबा 0.30है0 प्रार्थी कम 3 ता 9 के

नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसी प्रकार खसरा नं0 167 रकबा 0.23है0 प्रार्थी कम 10 ता 13 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था जो सहवंन से प्रार्थी कम 3 ता 9 के दर्ज हो गया।

इसी प्रकार अप्रार्थी कम 1 खसरा नं0 146 रकबा 0.37है0 खसरा नं0 263 रकबा 0.52है0 खसरा नं0 1135/148 रकबा 0.01है0 पर काबिज काश्त है और अप्रार्थी कम 1 के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है।

यह है कि इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 3 खसरा नं0 147, 148, 167 में ही गलत तरीके से अदला बदली हो गयी है और में खसरा नं0 गलत तरीके से प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 के आपस में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गए है। जबकि प्रार्थीगण खसरा नं0 147 पर प्रार्थी कम 1 व 2, खसरा नं0 148 पर प्रार्थी कम 3 ता 9, खसरा नं0 167 पर प्रार्थी कम 10 ता 13 काबिज काश्त है और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन उक्त खसरा न की भूमि आपसी रूप से गलत तरीके से आपस में ही दर्ज हो गयी। अप्रार्थी कम 1 गलत तरीके से प्राप्त खसरा नं0 147 के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को परेशान कर रहा है। प्रार्थीगण ने कही बार अप्रार्थी कम 1 से उक्त त्रुटि को सुधार पर वास्तविक कब्जे के आधार पर विभाजन कराने की कही तो अप्रार्थी कम 1 साफ मना कर दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा न0 के आधार पर भूमि प्राप्त करने की धमकी दी जबकि खसरा नं0 147 की भूमि पर अप्रार्थी कम 1 का कोई हक अधिकार नहीं है प्रार्थी कम 1 व 2 खसरा नं0 147 की भूमि पर 65 वर्षो पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए प्रार्थीगण उक्त आधार पर खाता दुरस्त करवाकर पृथक से विभाजन करवाकर घोषणा करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम में बताया गया कि प्रार्थीगण व अप्राथी कम 1 के मध्य करीबन 30 से भी अधिक वर्षों से पूर्व पारस्परिक सहमति से राजस्व अभिलेख में विभाजन हो चुका है जिसके अनुसरण में अप्रार्थी का ग्राम गणेशगंज की कृषि आराजी ख0नं0 146 रकबा 0.37 है, ख0नं0 147 रकबा 0.43है0, ख0नं0 1135/148 की 0.01है0, ख0नं0 263 की 0.52है0 कुल किता 4 रकबा 1.33 है0 पर तन्हा खातेदार होकर काविज कास्त चला आ रहा है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम का जवाव प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली किया गया है। जिस पर प्रार्थीगण को सुना गया।

वहस विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि आराजीयात पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी के मध्य काफी समय पूर्व बंटवारा हो चुका है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में भी अलग-अलग स्वतंत्र रूप से दर्ज है। अप्रार्थी कम 1 के कोई पुत्र नहीं है। मात्र एक पुत्री है जो ससुराल है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 अपने-अपने खाते की कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पृथक-पृथक खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी एक-दूसरे की कृषि आराजी पर काबिज काश्त होना असंभव है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने

योग्य प्रतीत नहीं होता तथा अप्रार्थी कम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाकर अप्रार्थी कम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज कृषि आराजी ख0नं0 146 रकबा 037है0, ख0नं0 147 रकबा 0.43है0, ख0नं0 1135/148 रकबा 0.01है0 ख0नं0 263 रकबा 0.52है0, कुल किता 4 रकबा 1.33है0, ग्राम गणेशगंज पटवार हल्का गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा पर अप्रार्थी कम 1 के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी भी तरह की मजाहत व मजाखलत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी कम 1 लगायत 13 को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा